न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 63/2021

1 लालचन्द पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी लुटटु तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुखदेव पुत्र नौरंगलाल।
2 महेन्द्र पुत्र विजयसिंह।
3 राजेन्द्र पुत्र शीशपाल।
4 सुरेश कुमार पुत्र शीशपाल समस्त जाति जाट निवासीगण लुटटु तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
6 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिसाऊ जिला झुंझुनू।
7 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लुटटु जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.03.2021 उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी सुखदेव बनाम राजेन्द्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 57/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

उपस्थिति :

1. श्री अलीशेर खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम लुट्टू प.ह. कोलिण्डा में भूमि ख. नं. 907 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार लुट्टु से हंसासरी जाने वाले रास्ते पर स्थित खं. नं. 904 व 906 से अपने खेत खं. नं. 907 में काश्त हेतु आवागमन करता था। खं.नं. 904 रकबा 2.82 हैक्टेयर भूमि राजेन्द्र, लालचन्द व सुरेश कुमार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खं.नं. 906 महेन्द्र सिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार आम रास्ता बिन्दू सं. **ABC C** से फटकर एक रास्ता ख.नं. 906 व 907 में जाता है। जो बिन्दु **D** बिन्दू से **E** स्थान तक प्रार्थी अपने खेत खं.नं. 907 में जाता रहा है। उक्त रास्ता को **D** से **E** स्थान तक महेन्द्र पुत्र विजयसिंह प्रार्थी को अपने खेत में नहीं जाने देता है। खं.नं. 907 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ख.नं. 904 का खातेदार भी बीच—बीच में अवरोध पैदा करता है। प्रार्थी ने जरिये वकील निवेदन किया है कि बिन्दू सं. **C,D,E** 12 फुट चौड़ा रास्ता भूमि काश्त करने के लिए खेत में आने जाने के लिए दिलवाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
... अपील अधिकारी

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर ... झुन्झुनूं

विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामिल नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने रजिस्ट्री के आधार पर तामिल पर्याप्त मानी है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री से तामिल का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। सम्यक तामिल के अभाव में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने, बिना विधिक प्रक्रिय अपनाये अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामिल करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार बाद तामिल मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के भाई की विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति भी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं रहा है एवं दिया गया रास्ता ही लघुत्तम है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामिल करवाई गई है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार बाद तामिल मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के भाई की विचारण न्यायालय में वकालतन उपस्थिति भी रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं रहा है एवं दिया गया रास्ता ही लघुत्तम है। इसके खण्डन में अपीलांट ने कोई साक्ष्य व कथन अपील मेमो में नहीं किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी